महत्वपूर्ण/शीर्ष प्राथमिकता
संख्या-24/2022/1858/तीस-4-2022

प्रेषक,

लुटावन राम,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

(1) समस्त उप परिवहन आयुक्त (परिक्षेत्र), उ0प्र0।
(2) समस्त संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन/प्रवर्तन), उ0प्र0।
(3) समस्त सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन/प्रवर्तन), उ0प्र0।

परिवहन अनुभाग-4 लखनऊ : दिनांक : 30 नवम्बर, 2022

विषय समस्त अधीनस्थ परिवहन कार्यालयों में नियुक्त शासकीय कार्मिकों के अतिरिक्त अन्य व्यक्तियों से शासकीय कार्य न लिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

शासन के संज्ञान में यह तथ्य आया है कि कतिपय अधीनस्थ परिवहन कार्यालयों में नियुक्त विभागीय शासकीय कार्मिकों द्वारा उन्हें आवंटित/पटल संबंधी कार्यो को स्वयं न करके उक्त कार्यो को प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से अनधिकृत व्यक्तियों/अवांछित व्यक्तियों से कराया जाता है। उक्त कृत्य अत्यन्त आपत्तिजनक होने के साथ यह भी दर्शाता है कि ऐसे कार्मिकों की रूचि शासकीय कार्यो में नहीं है तथा अनधिकृत व्यक्तियों/अवांछित व्यक्तियों द्वारा निजी हित में विधि विरूद्ध कार्य सम्पादित किये जाने से विभाग एवं शासन को असहज स्थिति का सामना करना पड़ सकता है।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि समस्त अधीनस्थ परिवहन कार्यालयों में विभागीय कार्यो के संपादन हेतु इस कार्य के लिए नियुक्त शासकीय कार्मिकों से ही सुनिश्चित कराया जाय और कार्मिकों द्वारा अपना लॉगिन आई0डी0, पासवर्ड एवं ओ0टी0पी0 किसी भी दशा में राजकीय व्यक्ति से इतर किसी अन्य अनाधिकृत/निजी अर्थात गैर सरकारी व्यक्तियों से साझा (share) न किया जाय, ताकि शासकीय कार्य में किसी भी प्रकार की अप्रिय एवं असमंजसपूर्ण स्थिति जनित न हो।

3. अतः प्रदेश में कार्यरत परिवहन अधिकारियों द्वारा समय-समय पर अपने नियंत्रणाधीन कार्यालयों का आकस्मिक निरीक्षण कर, उपरोक्त निर्देशों का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

कृपया उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

लुटावन राम
विशेष सचिव।

संख्या एवं दिनांक यथोक्त।

प्रतिलिपि - परिवहन आयुक्त, उ0प्र0 को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु अपने स्तर से भी प्रभावी अनुश्रवण कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

राम गोपाल सिंह
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in